न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 111 सन 2019

अनवान :–

1. राकेश कुमार पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र भादर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. उर्मिला 3 इन्द्रा 4 जसोदा 5 सुमित्रा पुत्रिया धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना
6. सुशीला 7 गीता 8 राजबाला उर्फ बालादेवी 9 किरण 10 इन्द्रबाला पुत्रिया राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादीगण

12. महेन्द्रसिह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 225/179 के कुल किता 46 की 11.3820हैव भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के दादा धर्मपाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है।

धर्मपाल के चार चार पुत्रिया एवं दो पुत्र महेन्द्रसिह व राजेन्द्र प्रसाद है महेन्द्रसिह के एक पुत्र एवं दो पुत्रिया है इसीप्रकार राजेन्द्र प्रसाद के एक पुत्र एवं तीन पुत्रीया है इसप्रकार धर्मपाल के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जो वादी के दादा /भूआ /बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के

प्र0नरा.........2

दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जो वादी की बहने/दादा/बुआ है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जो वादी की बहने/बुआ/दादा है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 225/179 के कुल किता 46 की कुल 11.3820हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा यानी 5.691हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रमाणित........2